Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 GISRRJ | Volume 1 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

भारत में प्रौढ शिक्षा का इतिहास

सुशील कुमार
यू0जी0सी0 (नेट) शोध छात्र,
इतिहास विभाग,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया,बिहार, भारत।

सारांश – शिक्षा के क्षेत्र में भारत जैसे विकासशील देश में प्रौढ शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास की जा रही है। जो सफल भी हुई है। भारत सम्पूर्ण रूप से साक्षर तभी हो सकेगा जब सरकार के साथ–साथ संपूर्ण देशवासियों का सहयोग मिलेगा।

मुख्य शब्द – भारत, प्रौढ, शिक्षा, इतिहास, विकासशील, भारत सरकार, मानव जीवन, अशिक्षित व्यक्ति।

मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अशिक्षित व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है, जो मनुष्य के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आधुनिक जीवन में दैनन्दिन परिस्थितियों में मनुष्य को सबल एवं सक्षम बनाने में एक ठोस संबल के रूप में अनौपचारिक तथा अनौपचारिकेतर शिक्षण में अपने को अधिस्थापित कर लिया है और विकसित देशों में सर्वमान्य होने पश्चात अब विकासशील देशों का भी ध्यान इनकी बहुमुखी प्राकृति तथा लाभकारी प्रभावों को देखते हुए इनकी ओर जाने लगा है।

वास्तविकता यह है कि संस्थागत शिक्षण की व्यवस्था की प्रकृति और संदर्भ और पद्दति जड़त्व को ग्रसित हो चुके है और व्यवहारिक जीवन में उसका नगण्य योगदान रहता है। जीवन के सही अर्थ सामाजिक समस्याओं के उन्मुलन तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उतर वे नही दे पाते। व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक समस्याएँ आती है या दूसरें शब्दों में व्यवहारिक रूप से उसे जिन उलझनों का सामना करना पड़ता है उनके निवारण हेतु संस्थागत शिक्षण के पर्याय की आवश्यकता है जो वैकल्पिक प्रावधानों के साथ–साथ अतिरिक्त ज्ञान का स्रोत भी बन सके। अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षण पद्दतियों ने संस्थागत शिक्षण संस्थाओं की दिवारों को लांघ कर ज्ञान प्रसारण के क्षेत्र की संकीर्णता को तोड़ दिया है और ज्ञानार्जन के अवसर सभी के लिए सुलभ बना दिये हैं।[1]

संस्थागत शिक्षण पद्दति जिसकी सीमाएँ विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही होती है इनके निमित वर्गीकृत पाठयक्रम होता है तथा अन्य परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी को उत्तीर्ण प्रदान की जाती है। इस विद्या के अंतर्गत आनेवाले सभी संस्थाएँ एक निश्चित पाठयक्रम तथा सारिणी का अनुसरण करती है। इस प्रणाली में सभी को सामूहिक शिक्षा दी जाती है। अतः किसी छात्र विशेष पर पृथक रूप से कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता है। इसके नियम सत्र आदि का निर्णय प्रशासनिक समिति पर होता

हैं तथा शिक्षा निर्गत करनेवाले सा ग्रहण करनेवाले को नियम परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है। अपौचारिक शिक्षा के अंतर्गत दूसरे शब्दों में अनुभव पढाये जाते हैं । इस शिक्षण प्रणाली द्वारा शिक्षार्थी को भावी जीवन हेतु कुछ आधारों की प्राप्ति होती है। संस्थागत शिक्षण द्वारा प्रदत योग्यता प्रमाण पत्र व्यक्ति को जीविकोपार्जन के निमित सक्षम बनाती है।[2]

किसी भी विकासोन्मुख सभ्यता के लिए साक्षरता एक आवश्यक शर्त है। तभी वह अपने समय में होनेवाले परिवर्तनों से स्वयं को जोड़ सकती है तथापि आर्थिक, सामाजिक, प्रजातांत्रिक विकास से परिपूर्ण हो सकती है। बदलती तकनीकों, नये अनुसंधानों, नयी विचारधारा से परिचित होकर ही कोई भी व्यक्ति विकास मार्ग पर चल सकता है। भारत ही नहीं विकसित देशों में भी अनवरत शिक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षण पर इसी वजह से महत्व दिया जाता है। जिससे उसके नागरिक आधुनिकतम जानकारियों से परिपूर्ण हो सके। कृषि, आयुर्विज्ञान, उद्योग, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आदि के क्षेत्रों में होनेवाले प्रगतितियों से परिचित हुए बिना उन क्षेत्रों से जुडे लोगों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। इन प्रगतियों से परिचित होने का एक सशक्त माध्यम है साक्षरता। यह प्रसंग भारत जैसे देश के लिए और भी महत्वपूर्ण है। जहॉ अधिक से अधिक जनसंख्या निरक्षर है। भारत की स्थिति इस संदर्भ में अत्यंत ही सोचनीय है। सन् 1947 में हमारे देश के वित्त के 55 करोड़ रूपये शिक्षण पर खर्च किये जाते थे, जबकि सन् 1982–83 में यह संख्या 5,180 करोड़ तक पहुंच गयी। किंतु निरक्षरों की संख्या सन् 1951 की तुलना में सन् 1961 में लगभग 36 लाख और अधिक हो गयी। सन् 1966 में इस संख्या में 20 लाख और वृद्धि हुई। ये सभी योजना वर्ष थे और इन सबमें प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा आदि कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता रहा और करोड़ों रूपये खर्च किये जाते रहे। यह भी सच है कि भारत में साक्षरता दली सन् 1981 में जनगणना के अनुसार 36.17 प्रतिशत पहुंच गयी, जबकि सन् 1951 की जनगणना के अनुसार 16.6 प्रतिशत, सन् 1961 में 24 प्रतिशत तथा सन् 1966 में 28.6 प्रतिशत थी। निरक्षरों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या का एकमात्र कारण देश की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है जो निरंक्षरों की संख्या में लगाातर वृद्धि करती जा रही है। निरक्षरों की बढ़ती हुई संख्या का मूल्य निश्चित रूप से देश को चुकाना पड़ता है और उसका आर्थिक ढांचा आर्थिक रूप से कमजोर ही नहीं वरन वह देश हर प्रकार के पिछड़ेपन का शिकार होता है।[3]

भारत में प्रौढ शिक्षा का इतिहास अत्यंत पुराना है। भारतीयों की निरक्षरता निवारण हेतु श्री बुड ने सन् 1854 में लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था । उनका सुझाव था कि देशी भाषओं के माध्यम से लोगों को शिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह बात पर भी बल दिया था कि दी जानेवाली शिक्षा जनोपयोगी हो तथा ऐसे लोगों की नियमित साक्षरता की व्यवस्था की जाए जो प्रारंभिक शिक्षण से वंचित रह गये हो। कुछ ही वर्षो में अनेक रात्रि पाठशालाओं में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलने लगा। साथ ही कई जेलों में पाठशालाएॅ खोली गयी तथा कैदियों की शिक्षण की व्यवस्था की गयी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो में भी इस कार्यक्रम में काफी गतिशीलता रही और बम्बई, कोलकाता, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत में अनेक रात्रि पाठशालाएॅ खोली गयी। इस समय तक लोगों के मन में इस कार्यक्रम में प्रगाढ़ आस्था जन्म चुकी थी। साथ–साथ इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा कि इससे सरकारी कार्यक्रम का प्रारूप मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रव्यापी सरकारी नीति के अभाव में जनसाक्षरता का कोई कार्यक्रम चलाना संभव नहीं । भारत जैसे देश में जहॉ साक्षरता दर निम्न हो वहॉ मात्र स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाकर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।[4]

20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इस कार्यक्रम ने पुनः जोर पकड़ा। इस बार भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की तथा पूर्वी प्रांतों तथा असम, बंगाल, बिहार में अत्यंत गहनता से एवं गंभीरता से इस कार्यक्रम को कार्य रूप दिया जाने लगा। उस काल में प्रौढ शिक्षा का विस्तृत प्रचार बिहार तथा बंगाल में हुआ।

बम्बई सरकार ने भी इस ओर विशेष रूचि दिखाई तथा मैसूर में इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया गया । इस प्रकार सन् 1940 तक भारत में लगभग 6 हजार प्रौढ शिक्षण केंद्र स्थापित हो गये। इनके माध्यम से लगभग दो लाख लोगों तक साक्षरता की ज्योति पहुंची। सन् 1944 में युद्धोतर शिक्षा विकास योजना अंतर्गत प्रौढ शिक्षा नियमित निम्न अनुशंसाएं की गयीः–

1. प्रौढ़ कक्षाओं की आयु सीमा 10 से 40वर्ष रखी जाए।
2. 25 वर्षो में साढ़े बारह करोड़ से अधिक व्यक्तियों को शिक्षण दिया जाए।
3. प्रथम पॉच वर्ष कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने तथा केंद्रों तथा पठन–पाठन व्यवस्था पर लगाए जाय।
4. प्रौढ शिक्षण हेतु व्यय राशि तीन करोड़ प्रतिशत वर्ष की दर से रखी जाए।
5. प्रौढ़ शिक्षा कार्य्र सरकार द्वारा चलाये जाय तथा स्वयंसेवी संस्थाऍ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास के वर्षो में देश के हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम भी इससे अछूता नहीं रह सका। इन वर्षो में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में काफी गिरावट आयी तथा प्रौढ शिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि के बावजूद प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी आ गयी। सन् 1940 में प्रौढ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम देकर एक नया स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की गयी। इस वर्ष संपन्न हुए प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में ये योजना बनी की आगामी तीन वर्षो में 12 से 50 वर्ष के लोगों में से कम से कम आधे लोगों को साक्षर बनाया जाएं । कुछ अपरिहार्य आर्थिक कारणों के फलस्वरूप में योजना कार्यान्वित नहीं हो पायी। मार्च सन् 1950 में भारत सरकार ने स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू के अध्यक्षता में एक योजना आयोग की नियुक्ति की । अप्रैल सन् 1951 से मार्च 1956 तक के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। भारतीय योजनाकरण का केद्रीय उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को उॅचा करना उसके अच्छे जीवन के लिए अवसर प्रदान करना, महात्मा गॉधी ने बुनियादी शिक्षा पर विशेष महत्व दिया था। इसी आधार पर प्रथम पंचवर्षी योजना में सामुदयिक केंद्रों को स्थापित करना, ग्रामीण रोजगारों, कुर्सी, चटाई–टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, गृह निर्माण सामग्रियॉ तैयार करना इत्यादि) को प्रशिक्षण द्वारा बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों द्वारा समाज के गठन का प्रयास करना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। यह भी योजना बनी कि सभी सामुदायिक केंद्रों के अंतर्गत पुस्तकालय एवं वाचनालय हो। जिनका उपयोग प्रौढ वर्ग कर सके। ग्रामीण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस योजना अवधि में की गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम का जुडाव सामुदायिक विकास योजनाओं के साथ ही रहा। इसमें साक्षरता आंदोलन को काफी बल मिला। जिलास्तरीय एवं राज्यस्तरीय पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि हुई तथा हजारों गॉव को पुस्तकालयों का लाभ प्राप्त हुआ। सन् 1656 में नेशनल फंडामेंटल एजुकेशनल सेंटर की स्थापना हुई। जहॉ प्रौढ शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इस केंद्र में आधुनिक शिक्षण सामगियों एवं उपकरणों का प्रयोग करना प्रौढ शिक्षा संबधी अनुसंधानें एंव मूलयांकन की भी व्यवस्था थी। शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल बुक ट्रस्ट इंस्टीच्युट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने इस समय प्रौढ शिक्षा में विशेष रूचि दर्शाते हुए अनेक कार्यक्रम नियेाजित किये तथा रशि आवंटित की । इनमें नवसाक्षरों हेतु पठन पाठन की साम्रगी तैयार करना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास, जनसंचार माध्यमों का उपयेाग आदि सम्मिलित है। इस क्षेत्र में लखनउ स्थित साक्षरता निकेतन का योगदान अत्यंत महतवपूर्ण रहा। सन् 1964 से 66 में कोठारी कमिशन ने

विद्यालयतर शिक्षा तथा अनौचारिक शिक्षा की विस्तृत योजना बनायी तथा विद्यालय त्यागी शिक्षुओं तथा व्यस्कों मे प्रौढ के शिक्षण हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत की। इस आयोग ने भारत की जनसंख्या के 60 प्रतिशत भाग को

सन् 1971 तक , 80 प्रतिशत भाग को सन् 1976 तक तथा पूरे जनसमुदाय को सन् 1986 तक साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। किंतु यह दुखद सत्य है कि यह लक्ष्य आज भी प्राप्त नहीं हो सकता हैं और सन् 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 36.23 है। पॉचवी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ शिक्षा पर 32 करोड से अधिक राशि व्यय की गयी तथा प्राथमिक शिक्षा, परिवार कल्याण, सहकारिता, प्रसार शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। साथ ही लोगों को ऐसे अवसर प्रदान करेन पर महत्व दिया गया जिसे विकास के साथ–साथ उन्हें आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके।[5]

सन् 1978 में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विषयवस्तु, क्षेत्र, लक्ष्य, दृष्टिकोण तथा प्रणाली की दृष्टि से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से गुणात्मक है। लोगों की आवश्कता के अनुरूप इसमें समय की पाबंदी में नमनीयता, जनसंचार माध्यमों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच लोगों में ज्ञान स्तर के अनुरूप पाठयक्रम निर्धारण प्रशिक्षुओं की सुविधानुसार पठन कार्यक्रम तैयार करना आदि इसकी विशेषताएॅ है। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के तीन तत्व है। साक्षरता, क्रियात्मता तथा चेतना। पढ़ना, लिखना तथा अंक ज्ञान साक्षरता में समाहित है। क्रियात्मकता द्वारा प्रौढ के कार्य कौशल में समृद्धि आती है। जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती हैं । चेतना के द्वारा लोग अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति सतर्कता तथा उनके हित में चलायी जानेवाली योजनाओं की समझ प्राप्त कर सकते है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि निरक्षरता व्यक्ति के के विकास में ही नहीं वरन पूरे राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक में बाधक हैं। भारत जैसे देश में जहॉ 60 प्रतिशत से अधिक आबादी निरक्षरता के घेरे में कैद है वहां मात्र विद्यालीय या संस्थागत शिक्षण पर निर्भर करके निरक्षरता को दूर करना संभव नहीं हैं। साथ ही यहॉ की स्थिति में ऐसे शिक्षण को दूर करना संभव नहीं है। साथ ही यहॉ की स्थिति में ऐसे शिक्षण की आवश्यकता है जो लोगों के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो तथा लोगों को परिस्थितियों से जूझने में सक्षम बना सके। भारत में निरक्षरता के साथ–साथ निर्धनता भी व्याप्त है। हमारे देश के एक बड़े वर्ग के बच्चे आजीविका उपार्जन करते है तथा परिवार के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ऐसी स्थिति में शिक्षण और जीविका उपार्जन को पृथक करना व्यवहारिक नही। लोगों को जीविका उपार्जन के साथ–साथ शिक्षण प्रदान करना ही यहॉ की स्थितियों के अनुकूल हैं। तभी हमारा समाज निरक्षरता के कलंक से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो पायेगा तथा विश्व में आत्मसम्मान के साथ सिर उठा कर जी सकेगा।[6]

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया तथा 128करोड़ रूपयों का प्रावधान इस कार्यक्रम के निमित किया गया। इसमें से 60 करोड़ केंद्रीय कार्यक्रमों के लिए, 68 करोड़ राज्यस्तरीय कार्यक्रमों के निमित रखे गये। ऐसी कल्पना की गयी थी कि सन् 1990 तक 15 से 35 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को निरक्षरता से कलंक मुक्ति मिल जाएगी। यही नहीं नये 20सूत्री कार्यक्रम में भी प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को प्रमुखता दी गयी।[7]

विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग ने भी इस कार्यक्रम के प्रति विशेष रूचि दिखलाई तथा विश्वविद्यलायों तथा महाविश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को सकारात्मक रूप देने का निर्णय लिया। महिलाओं अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ग्रामीणों तथा पिछडे वर्ग के लोगों के शिक्षण पर विशेष बल दिया गया। आयोग ने एतदर्थ 13.5 करोड़ रूपये का आवंटन किया तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को इस कार्यक्रम को चलाने के लिए शत प्रतिशत वितीय सहायता सन् 1990 तक देने की घोषणा की। विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग के एक प्रस्ताव के अनुसार अनवरत शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, जनशिक्षा कार्यक्रमों को एक झंडे तले सम्मिलित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तभी यह कार्यक्रम अधिक प्रभावी हो पायेगा। आयोग ने अपने कार्यक्रमों में अग्र वर्गो को सम्मिलित करने की सिफारिश की है।

1. ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाए।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग।
3. ऐसे लोग, जिन्होंने विद्यालीय शिक्षण को पूरा नहीं किया।
4. विकलांग।
5. बेरोजगार तथा ऐसे नवयुवक, जो विद्यालय शिक्षण को पूरा नहीं कर पाये।
6. विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता।
7. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों तथा विकलांगों के शिक्षण से जुडे हो।
8. ग्रामीण तथा गंदी बस्तियों के विद्यार्थी।

इस कार्यक्रमों के पीछे उद्देश्य यही है कि लोग अपने आसपास घटित होनेवाली बातों के प्रति सतर्क रहे तथा उनमें दिलचस्पी लें। अनौपचारिक शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षा, पूरक शिक्षा आदि के माध्यम से लोगों को आधुनिकतम जानकारियों से विज्ञ कराना तथा उनकी कार्य दक्षता विकसित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। आवश्कता पड़ने पर विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जा सकता है।[8]

गुजरात विद्यापीठ, अविनशलिंगम् शिक्षण संस्थान (कोयम्बटूर), ग्रामीण संस्थान (गॉधी ग्राम), मद्रास विश्वविद्यालय, एस0एन0डी0टी0 विमेन्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद के विभिन्न प्रौढ शिक्षण केंद्रों आदि के माध्यम से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम एक लंबी अवधि से चलाए जा रहे हैं आज देश भर के विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में प्रौढ शिक्षण केंद्रों तथा विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षा की ज्योति पिछड़े–दलित एवं निरक्षर लोगों तक पहुंचायी जा रही है। यही नहीं भारत की अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ भी पुनीत कार्य में अपना योगदान प्रदान कर रही है।

वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में भारत जैसे विकासशील देश में प्रौढ शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास की जा रही है। जो सफल भी हुई है। भारत सम्पूर्ण रूप से साक्षर तभी हो सकेगा जब सरकार के साथ–साथ संपूर्ण देशवासियों का सहयोग मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. इंडिया इयर बुक प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. विपिन चन्द्र अमलेश त्रिपाठी वरूण दे, स्वतंत्रता संग्राम
3. Educational Administration in central Government , Kahajan,Baldev, Khullar.
4. योजना पत्रिका मासिक।
5. कुरूक्षेत्र पत्रिका, मासिक।
6. राधाकृष्णन आयोग ,रिपोर्ट 1948
7. बी0एल0ग्रोवर, आधुनिक भारत।
8. श्रीवास्तव, के0सी0 प्राचीन भारत का इतिहास, युनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 1993
9. शुक्ला रामलखन–आधुनिक भारत का इतिहास–हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
10. शुक्ल राम लखनः– आधुनिक भारत का इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।